

2020/00224

फर्द अहकाम
(नियम 26)न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही
बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रेवदर


प्रार्थी / अपीलान्त

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री जेठाराम
जाति कलबी
निवासी रोहुआ तहसील रेवदर
जिला सिरौही।

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 26 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	<p>अपीलान्त ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 02.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम रोहुआ में मोबाइल टॉवर शुरू करवाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलान्त द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलान्त द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 02.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम रोहुआ में मोबाइल टॉवर शुरू करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलान्त को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही



253-54
13/8/20